**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 928**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

 **रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के रिक्‍त पद**

**928. श्री रामकुमार वर्मा:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) रेल मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए रिक्‍त पदों की संख्‍या कितनी है; और

(ख) सरकार इन रिक्‍त पदों को भरने के लिए क्‍या प्रयास कर रही है और इन पदों को कब तक भरा जाएगा?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के संबंध में 22.12.2017 को राज्य सभा में श्री राम कुमार वर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 928 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) : 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलों पर सभी सेवा ग्रुपों की स्‍वीकृत संख्‍या की तुलना में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रिक्त पदों की संख्या 43203 (प्रोविजनल) है।

(ख) : विभिन्न प्रकार के भर्ती के तरीकों से रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे प्रशासन की नीति रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरना है। पदों के रिक्‍त होने और इसे भरने की प्रक्रिया के बीच समय-अंतराल हमेशा होता है, जिसमें रिक्त पदों की अधिसूचना जारी करना, परीक्षाएं आयोजित करना, चयन पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है।

\*\*\*\*\*\*